न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–588 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042832026

राजन यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र जयप्रकाश यादव
सा0मौ0–जंगीपुर कला, थाना सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–533 / 2025
धारा–109(1) बी.एन.एस.।
थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

04.06.2026

आवेदक / अभियुक्त राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–533 / 2025, धारा–109(1) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के मुकदमें में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 07.09.2025 को लगभग 8 बजे शाम को वादी मुकदमा बिरेन्द्र प्रताप यादव का भाई योगेन्द्र यादव घर के सामने रोड पर टहल रहे थे कि घर से 50–60 मीटर दूरी पर खड़े थे तभी मोटरसाईकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्ति आये और बिना पूछे असलहे से वादी के भाई को गोली मार दिये जिससे वह मौके पर गिर गये और घायल हो गये। वादी अपने भाई को तत्काल जिला अस्पताल लेकर आये जहां डाक्टर द्वारा रेफर कर दिया गया। उसके बाद अरूणोदय सर्जिकल एवं ट्राम सेन्टर कलिचाबाद में भर्ती किये। जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुयी है, उनका ईलाज चल रहा है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। दौरान विवेचना साजिश करके आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक कथित घटना के समय शहर बाम्बे में था, घटना में शामिल नहीं था। पुलिस द्वारा आवेदक को घर से पकड़कर चालान कर दिया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई को जान से मारने की नीयत से उसे गोली मारने का आरोप है। घटना की पुष्टि वादी मुकदमा तथा स्वतंत्र साक्षी शशिकान्त यादव द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। केस डायरी के पर्चा संख्या 4 पर उपलब्ध मजरूब / चोटहिल के बयान में अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या में मजरूब / चोटहिल को 2 चोटें आना अंकित है। चोट संख्या 1 के एक्सरे की सलाह दी गयी है तथा चोट संख्या 2 सामान्य प्रकृति की है। पत्रावली पर मजरूब / चोटहिल की कोई एक्सरे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं

है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण अजय यादव, कृष्णा यादव उर्फ गोलू उर्फ गोलई की नियमित जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–533/2025, धारा–109(1) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा मु0–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक–04.06.2026

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।